

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

MG Road, Nr. Gandhi Hall, Indore - 452 007

(O) 2534579

dcourtind-mp@nic.in

परिपत्र

क्रमांक : 02 / III-13-01/2024

इन्दौर, दिनांक 28 जुलाई, 2025

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल द्वारा निर्मित अंतिम नियम फा. क्रमांक 1127/21-ब (एक)/2024, दिनांक 15.03.2024 तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक/दिनांक क्रमशः सी/3771/04.05.2024, सी/5746/05.08.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में गृह अर्दली/गृह सहायक भत्ते का मासिक रूप से नियमित भुगतान किये जाने हेतु प्रत्येक माह की 25 तारीख/वेतन देयक जनरेशन के पूर्व तक, नियत प्रारूप पर, मासिक स्व-प्रमाणन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। विलम्ब से प्राप्त होने वाले स्व-प्रमाणीकरण तथा अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त भत्ते को पृथक से अवशिष्ट (Arrears) राशि के रूप में भुगतान किये जाने के कोई निर्देश नहीं हैं। अतः इस परिपत्र का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

{ अजय श्रीवास्तव }

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

28 JUL 2025

पृष्ठांकन क्रमांक : 6141 / III-13-01/2024

इन्दौर, दिनांक : जुलाई, 2025

प्रतिलिपि-

- 01- समस्त न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक जिला स्थापना, इन्दौर/डॉ.अम्बेडकर नगर/सांवेर/देपालपुर/हातोद, जिला इन्दौर
- 02- कोर्ट मैनेजर/प्रशासनिक अधिकारी/समस्त उप-प्रशासनिक अधिकारी/लेखपाल/समस्त सहायक लेखापाल/आवक-जावक लिपिक, लेखानुभाग, जिला न्यायालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ प्रेषित।
- 03- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, इन्दौर की ओर परिपत्र को अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किये जाने व समस्त न्यायिक अधिकारीगण की ओर ई-मेल के माध्यम से परिचारित किये जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

28 JUL 2025